

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक...199 /

रीवा, दिनांक 03 / 12 / 2024

/दो-15-3/90

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालय से कॉलम नंबर-03 में दर्शित अनुसार सिविल प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालयों में अंतरित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल प्रकरण क्रमांक- 1,3 से 13	सुश्री मोहिनी भदौरिया, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर
		सिविल प्रकरण क्रमांक- 2, 14 से 24	श्री आशुतोष प्रताप सिंह, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर

Sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0...6210 /

रीवा, दिनांक 03 / 12 / 2024

दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

1. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश
2. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ त्योंथर।
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)